निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या 125 / 2020 तारीख दायरा 05.02.2020

उनवान

1. श्रीमती विजयलक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी आयु 50 साल पुत्री श्री हरिमोहन पत्नी श्री बाबूलाल जाति मेहर निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सॉगोद हाल निवासी इन्द्रा कॉलोनी कच्ची बस्ती, विज्ञाननगर कोटा जिला कोटा,
2. श्रीमती राजेश कुमारी उर्फ गुड्डी आयु 42 साल पुत्री श्री हरिमोहन पत्नी श्री सत्यनारायण जाति मेहर निवासी ग्राम नाहरिया तहसील सॉगोद हाल निवासी छावनी कोटा जिला कोटा।

—वादीगण

—बनाम—

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। —प्रतिवादी—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादी) दिनॉक :— 10.11.2020

श्री पैरोकार सरकार

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 1074 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नंबर 111 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नंबर 1167 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नंबर 1168 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नंबर 1169 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 1170 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1171 रकबा 1.18 हैक्टर, खसरा नंबर 246 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 310 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 343 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 654 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 655 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 662 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नंबर 79 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 825 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 875 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 892 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नंबर 893 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 906 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नंबर 907 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 908 रकबा 0.56 हैक्टर कुल [illegible] 9.59 हैक्टर आराजी वाके ग्राम नाहरिया तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित है। वादी कं. 1 का वास्तविक नाम "विजयलक्ष्मी" है किन्तु गॉव में वादी कं. 1 को घरेलू नाम "लक्ष्मी" के नाम से भी जाना जाता है जिसके कारण उक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम "लक्ष्मी" ही अंकित है जबकि वादी कं. 1 का वास्तविक नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

''विजयलक्ष्मी'' है। वादी कं. 1 के आधारकार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहिचानपत्र, राशनकार्ड, चिकित्सा सुविधा कार्ड इत्यादि सरकारी दस्तावेजों में वादी कं. 1 का वास्तविक नाम ''विजयलक्ष्मी'' ही अंकित है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी कं. 1 का वास्तविक नाम अंकित नहीं होने से वादी कं. 1 को कृषि विकास कार्य करवाने व सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी परेशानी आती है। ऐसी परिस्थितियों में राजस्व रिकार्ड में उक्त संबंध में दुरूस्ती की जानी अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार से वादी कं. 2 का वास्तविक नाम ''राजेश कुमारी'' है किन्तु गॉव में वादी कं. 2 को घरेलू नाम ''गुड्डी'' के नाम से भी जाना जाता है जिसके कारण उक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम ''गुड्डी'' ही अंकित है जबकि वादी कं. 2 का वास्तविक नाम ''राजेश कुमारी'' है। वादी कं. 2 के आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, बैंक पासबुक, राशनकार्ड इत्यादि सरकारी दस्तावेजों में वादी कं. 2 का वास्तविक नाम ''राजेश कुमारी'' ही अंकित है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी कं. 2 का वास्तविक नाम अंकित नहीं होने से वादी कं. 2 को कृषि विकास कार्य करवाने एवं सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी परेशानी आती है। ऐसी परिस्थितियों में राजस्व रिकार्ड में उक्त संबंध में दुरूस्ती की जानी अत्यन्त आवश्यक है।

गतमाह वादीगण द्वारा ''प्रधानमन्त्री किसान संबल योजना'' के अन्तर्गत ई–मित्र पर आवेदन किया तो वादीगण के आधार कार्ड के नाम एवं राजस्व रिकार्ड के नाम में भिन्नता होने से वादीगण को उक्त योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। उक्त संबंध में गत सप्ताह वादीगण की ओर से प्रतिवादी को दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय में दुरूस्ती की कार्यवाही करने को कहा तो वादकारण उत्पन्न हुआ। राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि राजस्व रिकार्ड में उक्त दुरूस्ती नहीं की गई तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार सॉगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है।

अतः वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी कं. 1 के घरेलू नाम ''लक्ष्मी'' के स्थान पर वादी कं. 1 का वास्तविक नाम ''विजयलक्ष्मी'' अंकित किया जावें अथवा विकल्प में निवेदन है कि वादी कं. 1 का नाम विजयलक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी अंकित किया जावें एवं वादी कं. 2 के घरेलू नाम ''गुड्डी'' के स्थान पर वादी कं. 2 का वास्तविक नाम ''राजेश कुमारी'' अंकित किया जावें अथवा विकल्प में निवेदन है कि वादी कं. 2 का नाम राजेश कुमारी उर्फ गुड्डी अंकित किया जावें।

वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश कर वादीगण के नामों के इन्द्राज को दुरूस्त करने में सहमति व्यक्त की। वादी के वादपत्र व प्रतिवादरी राज्य सरकार के जवाबदावा के अभिवचनों के अनुसार तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात, आधारकार्ड, बैंक पासबुक, मतदाता पहिचानपत्र, राशनकार्ड, चिकित्सा सुविधा कार्ड इत्यादि के मुताबिक दावा वादीगण डिक्री करना उचित समझती हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादीगण स्वी[illegible] कि माल ग्राम नाहरिया तहसील सॉगोद में स्थित खसरा नंबर 1074 रकबा 0.[illegible] हैक्टर, खसरा नंबर 111 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नंबर 1167 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नंबर 1168 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नंबर 1169 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 1170 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1171 रकबा 1.18

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

हैक्टर, खसरा नंबर 246 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 310 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नंबर 343 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 654 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 655 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 662 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नंबर 79 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 825 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 875 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 892 रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नंबर 893 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नंबर 906 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नंबर 907 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 908 रकबा 0.56 हैक्टर कुल किता 21 की कुल 9.59 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी क्रं. 1 के नाम 'लक्ष्मी' के स्थान पर 'विजयलक्ष्मी' अंकित किया जावें तथा वादी क्रं. 2 के नाम 'गुड्डी' के स्थान पर 'राजेश कुमारी' अंकित किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावें।

(सुश्री अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.03.03 13:24:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 10.11.2020 मेरे द्वा[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद